

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 18, गुरुवार, शके 1947- जनवरी 08, 2026 Pausa 18, Thursday, Saka 1947- January 08, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसंबर 31, 2025

संख्या प.9(8)राज-1/2025-जिला पुनर्गठन:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा जिला बालोतरा एवं बाड़मेर का पुनर्गठन करती हैं।

पुनर्गठित जिला बालोतरा में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसील एवं उप-तहसील सम्मिलित रहेगी :-

क्र.सं.	नाम जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील	नाम उप-तहसील
1-	बालोतरा	बालोतरा	पचपदरा	जसोल
				दूदवा
			कल्याणपुर	-
			गिड़ा	सवाऊ पदमसिंह
				हीरा की ढाणी
			पाटोदी	-
		सिणधरी	सिणधरी	-
		सिवाना	सिवाना	पादरू
			समदड़ी	-
		धोरीमन्ना	धोरीमन्ना	-
		गुड़ामालानी	गुड़ामालानी	-
	Total	05	09	05

पुनर्गठित जिला बाड़मेर में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसील एवं उप-तहसील सम्मिलित रहेगी:-

क्र.सं.	नाम जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील	नाम उप-तहसील
1-	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	विशाला
			बाड़मेर ग्रामीण	चवा
			बाटाडू	-
			नोखड़ा	मांगता
		गड़रा रोड़	गड़रा रोड़	हरसाणी
		चौहटन	चौहटन	लीलसर
			धनाऊ	-
		रामसर	रामसर	-
		बायतु	बायतु	-
		सेडवा	सेडवा	फागलिया
		शिव	शिव	भीयाड़
	Total	07	11	07

उक्तानुसार अभिलेखों के संधारण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत जिला कलक्टर, बालोतरा एवं बाड़मेर को अधिकृत करती है।

आज्ञा से,
हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।